

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR

Phone & Fax 01378-227229

E-mail-eeepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 864/6 समोपता

दिनांक 08/06/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/48741/2020.

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-366/12-1, दिनांक 02.08.2021.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में उल्लेखित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

शर्त संख्या-01 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-02 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

शर्त संख्या-03(क) के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 9,08,710.00 की धनराशि वन विभाग के खाते यूनियन बैंक, लोदी काम्पलेक्स में जमा कर दी गयी है, जिसकी चालान रसीद सलंग्न है।

शर्त संख्या-03(ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धयनित ग्राम-संसमण सिविल की गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है, प्रमाण पत्र सलंग्न है।

शर्त संख्या-03(ग) के अनुपालन में कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा का प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

शर्त संख्या-04 के अनुपालन का प्रमाण-पत्र सलंग्न है।

शर्त संख्या-05(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.225 हे० का रू० 8,45,000.00 प्रति हे० की दर से मूल्य रू० 10,35,125.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है जिसकी चालान रसीद सलंग्न है।

शर्त संख्या-05(ख) के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंग्न है कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त संख्या-06 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

शर्त संख्या-07 के अनुपालन में मान्य है कि, एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गयी है।

शर्त संख्या-08 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि वृक्षों के कटाव अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित आदेश की प्रति वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त संख्या-10 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

शर्त संख्या-11 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जायेंगे।

शर्त संख्या-12 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

शर्त संख्या-13 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

शर्त संख्या-14 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-15 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

शर्त संख्या-17 के अनुपालन में निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त संख्या-18 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-19 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-20 के अनुपालन में मान्य है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


संख्या-21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो उनका भी पालन किया जायेगा।

शर्त संख्या-22 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण कर दिया जायेगा ताकि वह तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित किया जायेगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-23 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

शर्त संख्या-24 के अनुपालन में मान्य है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) पर अपलोड की जायेगी।


सलंगन:- उपरोक्तनुसार 05 प्रतिशों में।


(मौ० आरिफ खान)
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-3 (ख)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 (ख) के अनुपालन में 2.45 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम संसमण, खसरा संख्या 5170 वन विभाग के नाम नामान्तरित हस्तान्तरित की ली गयी है।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-03(ग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-03(ग) के अनुपालन में कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा का प्रमाण पत्र वन मण्डल अधिकारी से प्रदत्त कर प्रेषित कर दिया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 2.45 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम संसमण, खसरा संख्या पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु0 09,08,710.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-5 (क)

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 10,35,125.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-5 (ख)

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 (ख) के अनुपालन में यदि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद हो, को वन विभाग के पक्ष में जमा कर लिया जायेगा।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-6

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपालन में पेड़ों की कटाई की लागत राज्य वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-8

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वृक्षों के कटाव अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित आदेश की प्रति वन विभाग को उपलब्ध करा ली जायेगी तथा इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-9

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-10

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 के अनुपालन में मार्ग निर्माण के पश्चात आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-11

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 के अनुपालन में मार्ग निर्माण के पश्चात संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-12

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (लागू होने की दशा में), प्राप्त कर ली जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-13

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 के अनुपालन में मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-16

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-17

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-18

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-19


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-21 के अनुपालन में कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती हैं तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-22 के अनुपालन में मलवे का निस्तारण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने हेतु उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाये जायेंगे।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या-23 के अनुपालन कि प्रयोक्त यदि अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर

CAMPA MOST Copy

Union Bank

Challan for collection of CAMPA Fund

Date: 01-11-2021

Client Code	CAM055
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF Application No.	514C4040
MIS/PO File No.	4100000000001FC
Address	E E ODP Wd Nandwani Nagar Gairahat
Remitter Contact No.	9997999999999999
Mobile No.	999715175
Landline No.	1370-277223
Remitter's Pin	227306
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India South Complex (22732)
Amount in Words: Twenty Five Thousand Eight Hundred and Thirty Five Rupees Only	
Drawer Signature	Bank Official Signature
Bank's Transaction Number	Bank Stamp

- Drawer should use CAMPA form (FC & CAPB) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against MIS/PO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.

CAMPA MOST Copy

Union Bank

Challan for collection of CAMPA Fund

Date: 01-11-2021

Client Code	CAM055
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF Application No.	514C4040
MIS/PO File No.	4100000000001FC
Address	E E ODP Wd Nandwani Nagar Gairahat
Remitter Contact No.	9997999999999999
Mobile No.	999715175
Landline No.	1370-277223
Remitter's Pin	227306
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India South Complex (22732)
Amount in Words: Twenty Five Thousand Eight Hundred and Thirty Five Rupees Only	
Drawer Signature	Bank Official Signature
Bank's Transaction Number	Bank Stamp

- Drawer should use CAMPA form (FC & CAPB) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against MIS/PO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.

BANK COPY

Union Bank

Challan for collection of CAMPA Fund

Date: 01-11-2021

Client Code	CAM055
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF Application No.	514C4040
MIS/PO File No.	4100000000001FC
Address	E E ODP Wd Nandwani Nagar Gairahat
Remitter Contact No.	9997999999999999
Mobile No.	999715175
Landline No.	1370-277223
Remitter's Pin	227306
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India South Complex (22732)
Amount in Words: Twenty Five Thousand Eight Hundred and Thirty Five Rupees Only	
Drawer Signature	Bank Official Signature
Bank's Transaction Number	Bank Stamp

- Drawer should use CAMPA form (FC & CAPB) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against MIS/PO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk@cbpfbank.com

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, you may mail a copy of your challan with transaction date to Email: sp@cbpfbank.com

3069020211109305220 Date 9-11-2021



चक्रल - जे कि २० शतीनी फसली 1421 से 1432 फसली तक
 ग्राम सन्कषी पर्ये जोगे अतन्वलि पावणे व्हा दिग् गठ

04-11

क्र.सं.	वर्ग	सं.	मि.	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
सण्ड संकषण	एल	1	0.584														
(33)	कपडे	39	0.217														
वेळ सं	कपडे	45	0.699														
	पूरी	66	2.011														
	सं																
	लगावत																
			5901574														
			616 0.271														
			659 0.044														
	सं																
	लगावत																
			5170 4.112														
			5171 0.067														
	सं																
	लगावत																
			52550084														
			52941001														
			52980013														
			53280011														
			53340003														
			53780 286														
	सं																
	सं		536 1.113														

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्पन्न वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजनों पर सुचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No--- 601 / XXIV - ALC - II

Dated- 13/8/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issue guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Sansman** village (s) in **Pawakidevi** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (IX) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

[Handwritten Signature]

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

विहरी गढ़वाली

[Handwritten Signature]
NTP

जय जिलाधिकारी

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under scheduled tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Mangesh Ghildiyani, I.A.S deputy commissioner Tehri Garhwal on dated 13.8.2020 at time in Tehri in which application claiming rights in Tehri area measuring 1.225 hect for the construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58 forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narendra Nagar sub division were discussed and considered for admission by the district level committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: N.T.T.

Dated: 13.8.2020


Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

टिहरी गढ़वाल


NTIP

Encl-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58, Length 4.750Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय प्रशासिकारी
टिहरी गढ़वाल

सुमन पुण्डरीक
समाज कल्याण अधिकारी
45 नंबर टिहरी गढ़वाल

Signature
(Full name and official stamp of the collector)

MT.P

टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण का

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक-

दिनांक-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु (1.225 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.225 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 30.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नि 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1- | युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर | -अध्यक्ष |
| 2- | श्री डी0पी0 बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग | -सदस्य |
| 3- | श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर | -सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री तंजपाल सिंह राणाबी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी | -सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.225 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।




प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 30.01.2020 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	 30/01/2020
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती	
3	श्री राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	
4	श्री तेजपाल सिंह राणा	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगलसी	

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम संसमण
तहसील पावकीदेवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.225 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00हे0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.225हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत संसमण द्वारा दिनांक 04.01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत संसमण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धुन्धुवर सिंह	धुन्धुवर सिंह
2.	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्र सिंह
3.	हिममत सिंह	हिममत सिंह
4.	काज सिंह	काज सिंह
5.	सरत सिंह	सरत सिंह
6.	कौशिल्या देवी	कौशिल्या देवी
7.	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
8.	देवकी देवी	देवकी देवी
9.	सती देवी	सती देवी
10.	भागवती देवी	भागवती देवी
11.	गरीमा	गरीमा
12.	बल्लु सिंह	बल्लु सिंह
13.	धनेश्वरी देवी	धनेश्वरी देवी
14.	दया राय	दया राय

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04-01-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
15.	पूजा देवी	पूजा
16.	अंशु देवी	अंशु
17.	काजल देवी	काजल
18.	काजल देवी	पूनम देवी
19.	दरमियान सिंह	Darman Singh
20.	शीला	
21.	बुद्धीर मुकेश सिंह	Poochi
22.	बुद्धीर सिंह	Mukesh
23.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
24.	पिका देवी सदस्य संसमण	पिका
25.	रजनी	रजनी
26.	अमन सिंह	अमन
27.	दीपिका	दीपिका
28.	मीनिका	मीनिका



ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
29.	करिना	करिना
30.	मदन सिंह	मदन सिंह
31.	शैलज सिंह	शैलज सिंह
32.	सुजलान सिंह	सुजलान सिंह
33.	कृष्ण लाल	कृष्ण लाल
34.	सतपाल सिंह	सतपाल सिंह
35.	सन्दीप	सन्दीप
36.	सुबानन्द	सुबानन्द
37.	दिपाल सिंह	दिपाल सिंह
38.	हरिन्द सिंह	हरिन्द सिंह
39.	विर सिंह	विर सिंह
40.	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
41.	सुभानन्द सिंह	सुभानन्द
42.	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा की सम्बन्ध बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
43.	वीर सिंह	वीर सिंह
44.	गशोका देवी	गशोका देवी
45.	सावित्री देवी	सावित्री देवी
46.	नरेश सिंह	नरेश सिंह
47.	सुल्तान सिंह	सुल्तान सिंह
48.	माल सिंह	Malsingh
49.	भरत सिंह	भरत सिंह
50.	मदो गीरी देवी	मदो गीरी देवी
51.	दीपक सिंह	दीपक सिंह
52.	सतमे खरी देवी	सतमे खरी देवी
53.	विमला देवी	विमला देवी
54.	दलवीर सिंह	दलवीर
55.	ओम्कार सिंह	ओम्कार सिंह
56.	गज्वर सिंह	गज्वर सिंह



ग्राम प्रधान

(Handwritten signature)


(M.O.U)


(प्रमाण-पत्र)


परियोजना का नाम:-


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु मौजा संसमण की सिविल सोयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड बंजर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है, में से 2.450 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, को मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) के पश्चात् वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी जायेगी।



अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


राजस्व उपनिरीक्षक



तहसीलदार



उप जिलाधिकारी
नरेन्द्र नगर, गढ़वाल


OWNERSHIP PROOFपरियोजना का नाम:-


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मौजा संसमण की सिविल सोयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि में से 2.450 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि को वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए चयनित किया गया है। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9(3)ड बंजर उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने में कोई आपत्ति नहीं है।



अमर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


अधिशशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


राजस्व उपनिरीक्षक



तहसीलदार



उप जिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल


NON ECUMBERENCE CERTIFICATE**परियोजना का नाम:-**


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। इस हेतु मौजा संसमण की सिविल सोयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि में से 2.450 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि को वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए चयनित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है कि चयनित भूमि वन से आच्छादित नहीं है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु आबंटित नहीं की गयी है एवं उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है। उक्त भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान, आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नहीं है व चयनित भूमि पर कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नहीं है।



अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।



अधिसास अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार


उप-परिक्षाधिकारी
नरेन्द्र नगर गढ़वाल


वनक्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।